[redacted]

(291)

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी I/निगरानी/शिवपुरी/भू0रा0/2017/2825

1. नारायणदास पुत्र स्व. श्री जानकीदास बैरागी
2. हरीदास पुत्र .नारायणदास वैरागी
3. दामोदरदास पुत्र स्व. श्री पुरूषोत्तमदास बैरागी
4. संजय पुत्र स्व. श्री पुरूषोत्तमदास बैरागी
5. सोनू पुत्र स्व. श्री पुरूषोत्तमदास बैरागी
6. योगेश पुत्र स्व श्री पुरूषोत्तमदास बैरागी
7. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी स्व. श्री पुरूषोत्तमदास बैरागी समस्त निवासीगण कौलारस जिला शिवपुरी म.प्र. ।

श्री सुनील सिंह ... द्वारा आज दि. 24/10/17 को प्रस्तुत
24-8-17
क्लर्क ऑफ ...
राजस्व मण्डल म.प्र. ...

.............आवेदकगण

विरूद्ध

पुरूषोत्तमदास पुत्र श्री कल्याणदास बैरागी निवासी कौलारस जिला शिवपुरी म.प्र. ।

..........अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के अपील प्र.क. 739/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 12.7.2017 के विरूद्ध निगरानी ।

24/10/17

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि ,प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक पुरूषोतम पुत्र कल्याणदास बैरागी के द्वारा अधिनस्थ न्यायाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि राधाकष्ण मुरली मनोहर मंदिर के स्वामित्व की भूमि सर्वे कमाक 325 रकवा 1.242है0, 370 रकवा 1.456है,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

I/निगरानी/शिवपुरी/भू0राज0/2017/2825

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-8-2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 12-7-2017 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर श्री मुरली मनोहर राधाकृष्ण जी प्रबां कलेक्टर जिला शिवपुरी के नाम दर्ज है। आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने के कारण उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण का अनाधिकृत कब्जा होना प्रमाणित होने से बेदखल करने एवं जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। आवेदकगण द्वारा कब्जा नहीं हटाने के कारण उसके विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया गया, जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त ने अपने प्रश्नाधीन आदेश में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया था जो निरस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण का स्वत्व प्रश्नाधीन भूमि पर सिद्ध नहीं होता है। दर्शित परिस्थितियों में इस निगरानी ग्राह्यता का आधार प्रकट नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	